

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

बन्दू कुमार बनाम अमरसिंह वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा U/S 53, 88, 188 R.T.Act. नम्बर..... 154 सन् 22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.11.2022	<p>दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">→</p> <p>15/12/22 वकील वाडी उच.। पत्रा. वा.के ई.के.ए. तलब। दिनांक 15/01/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">→</p>	
13/2/2022	<p>वादी ने प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दफ्तर से तलब की गयी व वादी द्वारा अपने अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि एक पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से वादीनामक होश्यारी उक्त एक उपरोक्त वाद में कोई कार्यवाही चाहे चलाना नहीं चाहते व वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किए जाने का निवेदन किया उनके वकील वादी को सुना प्रार्थना पत्र का भवलोक्त कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रकार में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से समझौता होना उपदिष्ट किया। अतः</p>	

वादी की प्रार्थना अनुसार वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फेशल शुमार होकर कार्यालय दफ्तल हो।

→
उप खण्ड अधिकारी
राजाखेडा वीलपुर (राज.)